पत्रावली दि० 15-3-16 को पेश हो।

15-3-16 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 3-5-16 को पेश हो।

3-5-16 वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 14-6-16 को पेश हो।

14-6-16 पत्रावली पेश ... वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/... प्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित ... श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ... अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त ... हो गया है। अतः पत्रावली ... दिनांक 17.6.16 कैम्प उदेईकलां को पेश हो।

रीडर

3-6-2017
10-6-16

17-6-16 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प उदेईकलां पर पेश हुई। वादी सं० 1, 2, 4 उपस्थित है। वादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की भूमि ख० नं० 1947, 1948, 1949 ग्राम उदेईकलां का सीमाज्ञान तहसीलदार गंगापुर के नेतृत्व मे पटवारी हल्का व गिरदावर की टीम से करवा दिया जावे। वादीगण सीमाज्ञान अनुसार अपनी खातेदारी पर काबिज रहेंगे। इसी आधार पर वादीगण अपना दावा वापिस लेना चाहते है। परन्तु यदि सीमाज्ञान मे वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो वादीगण को नया दावा पेश करने की छूट दी जावे। इसमें वादी सं० 3 की भी स्वीकृति हम वादीगण ने प्राप्त कर ली है।

प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद निर्णित किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर को लिखा जावे कि वे अपने नेतृत्व मे I.L.R. व दो पटवारियों की टीम गठित कर ख० नं० 1947, 1948, 1949 ग्राम उदेईकलां का सीमाज्ञान करवा दिया जावे। वादीगण की भूमि नाप मे प्रतिवादीगण के दबी हुई पाई जाती है तो वादीगण पुन: नवीन दावा कर सकेंगे इसकी वादीगण को अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो।

नि० रामभरोसी

नि० रामसिंह

शिवचरण

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर ... एवं ...

# मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

## (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलॉ

**पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.**

**उनवान**

1. शिवचरण पुत्र केदार खारवाल निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. खिलाडी पुत्र केदार खारवाल निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापुर सिटी
3. भागीरथ पुत्र केदार खारवाल निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापुर सिटी
4. रामसिंह पुत्र मंगल्या खारवाल निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापुर सिटी —वादीगण

**बनाम**

1. मनोज पुत्र प्रभू खारवाल निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. प्रभू पुत्र हजारी खारवाल निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

**दावा बाबत बेदखली, स्थाई निषेधाज्ञा**

**मुकदमा नं. — 90/2015**

वादी की ओर से वादी शिवचरण वगैरा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 17.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी अध्यक्षता में भू अभिलेख निरीक्षक एवं दो पटवारियो कीं एक टीम का गठन कर भूमि ख0न0 1947 रकबा 61 एयर, 1948 रकबा 37 एयर, 1949 रकबा 27 एयर, ग्राम उदेई कलॉ का सीमाज्ञान करा देवे तथा यदि प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो उस स्थिति में वादीगण को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 17.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

**वाद के खर्चे**

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1 वादपत्र के लिए स्टाम्प<br>2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4 .................रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय<br>6 कमिश्नर की फीस<br>7 आदेशिका की तामील | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड | | जोड | |